5.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) गुरप्रीत सिह पुत्र जसवीर सिह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र अ.आ. 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वादीया अमनीत कौर जो कि प्रार्थी की सगी बहिन है हमारी कृषि भूमि चक नम्बर 3 पीटीपी खाता संख्या 39/85 मेरे व वादीया के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति जसवीर सिह पुत्र दलीप सिह के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पहरा संख्या 1 में वर्णित भूमि चक नम्बर 03 पीटीपी खाता संख्या 39/85 में वादीया अमनीत कौर ने अपना समस्त हिस्सा की भूमि मुझ प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) गुरप्रीत सिह के पक्ष में छोड़ दी है जिसका दस्तावेज दस्तवरदारी उप पंजीयक संख्या से दिनांक 30.04.2024 को मुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 571 में पृष्ठ संख्या 6 के क्रम संख्या 202403419100793 पर पंजीबद्व होकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1813 के पृष्ठ संख्या 361 से 370 परी चस्पा किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त पंजीकृत दस्तावेज से नामान्तरण खाता विवादित श्रेणी का होने के नही हो सका है लेकिन पंजीकृत दस्तावेज से भूमि हस्तान्तरण होने के बाद अब वादीया को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। वादीया अमनीत कौर ने जरिये पंजीकृत दस्तावेज से अपने हक व हिस्सा की समस्त भूमि का परित्याग कर दिया है, लेकिन वादीया का मुझ प्रार्थी से मन मुटाव हो जाने से मुझ प्रार्थी को तंग परेशान एव दवाब बनाकर सम्पति हडपने की नियत से यह दावा प्रस्तुत कर दिया है जो विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल खारिज है। सम्पति का पंजीकृत दस्तावेज से भूमि हस्तान्तरण हो जाने के बाद जब तक दस्तावेज माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दस्तावेज खारिज नही हो जाता तब तक वादीया को कोई वाद कारण हासिल नही होने से वादीया का वाद काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) स्वीकार किया जाकर (वादीया) अप्रार्थीया अमनीत कौर द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय सभी खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता वादीया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 (प्रार्थी) के कथनों से इंकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.धारा 7 नियम 11 सीपीसी मय सभी निरस्त किये जाने के निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं माननीय न्यायालयों के न्याय दृष्टन्तो का ससम्मान ध्यान किया गया। चूंकि वाद वर्ष 2024 से चक 3 पीटीपी के खाता संख्या 39/85 खाता गुरदीप सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की भूमि के सन्दर्भ में संस्थित है। जबकि वादीया अमनीत कौर ने वाद पत्र मे वर्णित भूमि मे से जिस कदर अपना समस्त हिस्सा की दस्तवरदारी अपने भाई गुरप्रीत सिह के पक्ष में जरिये रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज से निष्पादन व पंजीकरण करा दिया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) गुरप्रीत सिह पुत्र जसवीर सिह की और से पेश प्रार्थना पत्र अ.धारा 7 नियम 11 सीपीसी तर्क संगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टतया स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 520/2024 अमनीतकौर बनाम गुरप्रीत सिह वगैरा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया